पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने विद्युत व्यवस्था की समीक्षा बैठक की

10–12 दिन से जले ट्रांसफार्मर न बदलने पर अधिकारियों पर कड़ा एक्शन

गाजीपुर (गहमर)के अधिशासी अभियंता निलंबित, अधीक्षण अभियंता को सस्पेंड करने की चेतावनी, देवरिया के मुख्य अभियंता को प्रतिकूल प्रविष्टि

काम न करने वाले अधिकारियों को हटाने के निर्देश, पूर्वांचल में बिजली व्यवस्था सुधारने पर विशेष जोर

कांवड़ यात्रा में विद्युत सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, सभी मार्गों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

लखनऊ, 6 अगस्त, 2026

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री श्री ए.के. शर्मा ने प्रदेश में निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, जले हुए ट्रांसफार्मरों के समयबद्ध प्रतिस्थापन, कांवड़ यात्रा के दौरान विद्युत सुरक्षा तथा विद्युत व्यवस्था से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री श्री शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जनता को समय पर बिजली उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसमें किसी भी स्तर की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

समीक्षा के दौरान मंत्री श्री शर्मा ने देवरिया, गाजीपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फतेहपुर सहित विभिन्न जनपदों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति एवं जले हुए ट्रांसफार्मरों को समय से न बदले जाने के मामलों पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संबंधित अधिशासी अभियंताओं से जवाब–तलब करते हुए कहा कि जनता को अनावश्यक परेशानी पहुंचाने वाले अधिकारियों की जवाबदेही हर हाल में तय की जाएगी।

ऊर्जा मंत्री ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को निर्देश दिए कि पूर्वांचल क्षेत्र में शिकायतों के निस्तारण की गति को तत्काल प्रभाव से तेज किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी एवं गंभीरता से नहीं कर रहे हैं, उन्हें तत्काल हटाने की कार्रवाई की जाए, क्योंकि जनता के हितों से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं होगा।

कांवड़ यात्रा को देखते हुए मंत्री श्री शर्मा ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों पर विद्युत सुरक्षा के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं। ढीले तार, झुके हुए बिजली के खंभे, खुले विद्युत उपकरण अथवा किसी भी संभावित खतरे को तत्काल दूर किया जाए तथा यात्रा मार्गों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विशेष निगरानी रखी जाए, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा या दुर्घटना का सामना न करना पड़े।

बैठक के दौरान देवरिया जनपद के लार थाना क्षेत्र में पिछले दस दिनों से जले ट्रांसफार्मर को न बदले जाने के मामले में स्थानीय अधिकारियों द्वारा संतोषजनक उत्तर न दिए जाने पर अपर मुख्य सचिव श्री आशीष गोयल ने मुख्य अभियंता, गोरखपुर (द्वितीय) को तत्काल प्रतिकूल प्रविष्टि (एडवर्स एंट्री) दिए जाने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार गाजीपुर जनपद के गहमर क्षेत्र में 12 दिनों से जला ट्रांसफार्मर न बदले जाने तथा समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संबंधित अधीक्षण अभियंता को भी कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया गया कि भविष्य में ऐसी लापरवाही दोहराए जाने पर उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्री आशीष गोयल, प्रबंध निदेशक श्री नितीश कुमार, श्री मयूर माहेश्वरी सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जबकि प्रदेश के अन्य अधिकारी वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक से जुड़े।

सम्पर्क सूत्र– प्रवीण मालवीय

राम यतन/04:40 PM

फोन नम्बर Direct : 0522–2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522–2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522–2237230 0522–2239586 ई–मेल : upsoochna@gmail.com,
वेबसाइट :www.information.up.gov.in